गांधीवाद की वैचारिक प्रासंगिकता एवं वर्तमान परिपेक्ष्य

डॉ. दीपक कुमार सिंह

सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय
गुरुप्रकाश बी0एड0 कालेज, केकढ़ा
कैमूर, बिहार

महात्मा गांधी अथवा राष्ट्रपिता के रूप में मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी बीसवीं सदी के दुनिया के नेताओं में सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। पूरी दुनिया में शंति, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी एवं करुणा के प्रति उनके लगाव, समाज को एकजुट करने और औपनिवेशिक दासता से देश को स्वतंत्र कराने तथा दुनियां को नया रास्ता दिखाने में मिली सफलता के लिए उन्हें याद किया जाता है। गांधी एक सृजनात्मक व्यक्ति थे और वह अपने समय की चुनौतियों का सामना करने के साथ ही वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण भी पेश करने वाले व्यक्ति थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटीन ने ठीक ही कहा है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर भरोसा करेंगी कि इस तरह का कोई इंसान कभी इस धरती पर चला भी था।''

मानवीय व्यवहार की जटिलता की वजह से वर्तमान विश्व में गांधी का दर्शन बेहद प्रासंगिक हो जाता है। उनका दर्शन, मानवीय स्वीााव की अच्छाई पर बल देना, मानव–जाति की एकता, मनुष्य की सेवा, व्यक्ति के सामूहिक जीवन और अंतर–राज्य संबंधों के लिए वैध माने जाने वाले नैतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, परिवर्तन की अहिंसक प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक समानता तथा आर्थिक और राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को मुश्किल में डालने वाले विभिन्न प्रकार के तनावों का समाधान करने की कोशिश करता है। यह प्रेम, सृजन तथा जीवन और सौंदर्य के उल्लास को जन्म देने वाली शक्तियों को सशक्त करने में सक्षम है। यह व्यक्ति के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है और उसकी आध्यात्मिक प्रकृति पर बल देता है।

गांधी विकासवादी आयामों और नेतृत्व की विफलता की वजह से उपजे समकालीन दुविधा और संघर्षों का समाधान उपलब्ध कराते हैं। मानवता के लिए सामाजिक न्याय की तलाश उस समय तक एक स्वप्न ही रहेगी जब तक मानवता को गांधी की उस बात की अहमियत का एहसास नहीं होता जिसमें उन्होंने कहा था कि नैतिक मूल्यों की अवहेलना और उन्हें नजरअंदाज करने की वजह से अर्थशास्त्र कभी भी सच्चाई के करीब नहीं होता है। गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लिखे गये अपने लेखों और अपने भाषणों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास को हमेशा ही महत्ता दी। गांधी ने 'हरिजन' में लिखा है कि 'स्वतंत्रता का आरंभ सबसे निचले स्तर से होना चाहिए।' उन्होंने कहा था, 'मेरे सपनों का स्वराज एक गरीब व्यक्ति का स्वराज है। जिंदगी की जरूरतों की पूर्ति एक सामान्य इंसान को भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि कोई शाही अथवा धनी व्यक्ति करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे पास भी उनकी तरह महल होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हें भी जिंदगी की वे सुविधाएं मिलनी चाहिए जो धनी व्यक्ति को मिलती है। मेरे मन में इस बात को लेकर तनिक भी संदेह नहीं है कि स्वराज उस समय तक पूर्ण स्वराज नहीं बनेगा जब तक कि इसके भीतर तुम्हें इन सुविधाओं की गारंटी नहीं मिल जाती है।''

15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के साथ ही भारत के लोग अचानक ब्रिटिश प्रजा के स्थान पर भारतीय नागरिक बन गये। लेकिन गांधी के शब्दों में यह आजादी नहीं थी बल्कि यह स्वराज यानि स्वशासन था। वह न केवल भारत बल्कि बाकी दुनियां के लिए भी एक 'नया नागरिक' चाहते थे जो कि दूरदर्शी हो। इस नये नागरिक को समूची दुनियां को एक ही परिवार समझना होगा। उसका दर्शन और विकास का लक्ष्य 'सर्वोदय' यानी 'सभी का विकास' से प्रेरित होगा। उसके सिद्धांत और पद्धतियां 'सत्य एवं अहिंसा' पर आधारित होंगी। उसे अन्याय के खिलाफ अथक लड़ाई लड़नी होगी। उसे अपने विरोधी का हृदय परिवर्तित करने के लिए 'सत्याग्रह' यानि खुद को कष्ट देकर भी सत्य के पक्ष में खड़े रहना होगा।

यह नया व्यक्ति घृणा को प्रेम और प्रतिस्पर्द्धा को सहयोग से बदलने में सक्षम होगा तथा परस्पर–निर्भरता उसके जीवन का मूलभूत सिद्धांत होगा। वह विश्व में शांति, सहिष्णुता और सद्भाव लाएगा। वह भारत तथा पूरी दुनियां को बताएगा कि हमें युद्ध अथवा पलायन का रास्ता अख्तियार करने की आवश्यकता नहीं है और न हमें संघर्षों तथा मतभेदों के समाधान के लिए अत्यधिक आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। वह हमें बताएगा कि हम शारीरिक शक्ति का सामना आत्मबल से कर सकते हैं और सद्भाव से दूसरे को झुकने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। गांधी के विचारों, कथन और कार्यों को आत्मसात् करके और उन्हें अपनाकर इस 'नव पुरुष' को अस्तित्व में लाया जा सकता है। समस्याओं से जूझ रही इस दुनियां के लिए मोक्ष, गांधी के इस 'नवपुरुष' में ही छिपा हुआ है क्योंकि वह समस्त विश्व को एक संयुक्त परिवार समझेगा।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14–15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को दिये गये अपने ऐतिहासिक भाषण में भारतीय शासन के लक्ष्य निर्धारित कर दिये थे। पंडित नेहरू ने गरीबी, अज्ञानता, बीमारी तथा अवसर की असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। महात्मा गांधी ने भी सुशासन की व्यवस्था में सार्वजनिक नीतियों की प्रभावोत्पादकता के आंकलन के लिए कुछ सख्त मानदंड सुझाये थे। उन्होंने कहा था– ''क्या यह, समाज के निर्धनतम और सबसेग कमजोर व्यक्ति को अपनी जिंदगी और भाग्य पर नियंत्रण स्थापित करने लायक बना पाएगा? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या शासन भूखे और आध्यात्मिक रूप से अभावग्रस्त करोड़ों लोगों को स्वराज दिला पाएगा?'' इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान में नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया। लेकिन आजादी के इतने वर्ष बाद भी भारतीय राज्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में निःसंदेह नाकाम रहे हैं।

गांधी ने नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठता संबंधी अपने विचारों को पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए 'हिन्द स्वराज' लिखा था। हिन्द स्वराज भौतिकता पर नैतिकता की श्रेष्ठता की अवधारणा पर आधारित एक नयी विश्व व्यवस्था का घोषणा–पत्र है। यह भारत और बाकी दुनियां के आम लोगों की आवाज होने के साथ ही उन लोगों की भी आवाज है जो अनसुने ही रह जाते हैं। हिन्द स्वराज कई मौलिक सवाल खड़े करता है। ब्रिटेन के साथ भारत का टकराव राजनीतिक और आर्थिक न होकर सभ्यता का था। गांधी ने जिन लोगों को ध्यान में रखते हुए हिन्द स्वराज लिखा था, उनके हालात अब भी अलग नहीं है। हिन्द स्वराज वैयक्तिक, राज्य तथा सामाजिक स्तर पर उठने वाले आंतरिक और बाह्य संघर्षों से पैदा होने वाली समकालीन और तात्कालिक समस्याओं से निपटने का गांधीवादी तरीका है।

भविष्य की उम्मीद भी हिन्द स्वराज में समाहित है। वास्तव में हिन्द स्वराज गांधीवादी विचारों की बाइबल है। यह राष्ट्रपिता द्वारा देश को दी गयी पवित्र पुस्तक है और सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी दौर की गीता है। हिन्द स्वराज के जरिए गांधी भारत के लोगों के आत्म–सम्मान और नैतिक–उद्भव को स्थापित करना चाहते थे। दूसरे शबदों में, इस पुस्तक के जरिए गांधी एक देश के रूप में भारत तथा इसकी राज–व्यवस्था के साथ ही हर भारतीय को भी बदलना चाहते थे। हिन्द स्वराज भारत तथा भारतीयों के मूल्यांकन के लिए एक स्रोत ग्रंथ है। यह लोगों के लिए कार्यों की एक निर्देश– पुस्तिका भी है। हिन्द स्वराज भौतिकवादी पश्चिमी समाज की अतिवादिता का आलोचक भी है। यह उपनिवेशवाद, नव–उपनिवेशवाद, हिंसा और अलगाव जैसी आधुनिक सभ्यता की नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ भी हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। इसके अलावा यह पुस्तक राजनीतिक लोकतंत्र को भी अपने दायरे में लेती है, क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र है ही नहीं। रलवे, वकीलों और डाक्टरों की आलोचना को उपनिवेशवाद और नव– उपनिवेशवाद के नकारात्मक पक्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। हिन्द स्वराज एक दबे–कुचले समुदाय के लिए संघर्ष करने का वैकल्पिक रास्ता भी सुझाता है। यह दमन, अन्याय और हिंसा आदि के खिलाफ संघर्ष का तरीका बताता है। यह व्यक्ति, समाज और राज्य के लिए भी विकल्प पेश करता है। अगर ईमानदारी से कहें तो भारत के लोग हिन्द स्वराज के बारे में बातें करना पसंद करतेक हैं लेकिन इसे समुचित तरीके से समझ नहीं पाये हैं और न ही इनकेक विचारों अथवा दश्रन को कभी साकार रूप दे पाये हैं।

महात्मा गांधी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर ही सरोजनी नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था–''ईश्वर करे कि मेरे मालिक, मेरे नेता, मेरे बापू की आत्मा को शान्ति न मिले। बापू कभी आराम नहीं करते थे। आइए, हम सभी एक प्रण लें, आप हमें शक्ति दें ताकि हम, आपके वंशजों और उत्तराधिकारियों से किये गये वादे को पूरा कर सकें। ये लोग ही आपके सपनोकं के रक्षक और भारत के भाग्य के निर्माता हैं।'' सरोजनी नायडू के शब्दों में

ताकत हमें यह एहसास कराती है कि हमें गांधी के दो मूलभूत सिद्धांतों, सत्य और अहिंसा को विचार और कर्म के रूप में आत्मसात् नहीं होने तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। हमें आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हम दुनियों के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे।

गांधी के अनुसार वास्तविक लोकतंत्र न केवल कुछ लोगों बल्कि निर्धनतम व्यक्ति समेत सभी लोगों के लिए मायने रखना चाहिए। यहां तक कि अपंग, नेत्रहीन और मूक–बधिर के लिए भी लोकतंत्र का वहीं मायने होना चाहिए। वह आदर्श दिखाने के लिए महज जुबानी संवेदना में यकीन नहीं करते थे जैसा मौजूदा समय के अधिकतर नेताओं में आसानी से देखा जा सकता है। गांधी के अनुसार समूचा सामाजिक ढ़ांचा ही ऐसा होना चाहिए कि इस आदर्श को व्यवहार में भी अपनाया जा सके। एक वास्तविक लोकतंत्र उद्देश्य के प्रति अव्वल दर्जे की गंभीरता तथा अत्यावश्यकता की अपेक्षा करता है। गांधी को यह एहसास था कि एक बार जागृत हो जाने पर लोग एक क्रांतिकारी ताकत बन जाते हैं। अगर उन लोगों की न्यूनतम अपेक्षाएं भी पूरी नहीं की गयी तो उनमें विस्फोट हो जाएगा। इस जागरूक जनता में हुआ विस्फोट कई तरह के अरूचिकर और बदसूरत रूप भी ग्रहण कर सकता है।

आज इतने सारे कानूनों के बावजूद भारत में चुनाव प्रणाली और समूची चुनाव प्रक्रिया जनमत की ईमानदार तस्वीर सही तरीके से नहीं पेश कर पा रही है। हालांकि यह दुनिया के अन्य देशों के लिए भी उतना ही सत्य है। यहां तक कि अपराधी भी चुनाव जीतकर राजनीतिक पदों पर आसीन हो रहे हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है और कई बार चुनावों में भरपूर धांधली भी होती है। इस तरह उम्मीदवार निर्वाचित न होकर खरीद–फरोख्त के परिणाम होते हैं। सभी मानवीय पहलुओं पर राजनीति का भारी पड़ जाना चुनावी दौर के सबसे दुखद पहलुओं में से एक है। दरअसल मौजूदा दौर की असंतुष्टि और असमंजस को दूर कर पाने का एकमात्र रास्ता संघर्षों के समाधान का गांधीवादी तरीका अख्तियार करना है। भारत में लोग नैतिक नेतृत्व के लिए लालायित और प्रतीक्षारत हैं, लेकिन यहां के राजनेता नैतिक नेतृत्व देने के बजाय पहले से ही दूषित हो चुकी व्यवस्था को बनाये रखने में ही जुटे हुए हैं। यह व्यवस्था सामूहिक दुरास्था से जहरीली होने के साथ ही निजी हितों को महत्ता देने के कारण दूषित हो चुकी है। लोगों को दूरदृष्टि और कल्पना पर आधारित सेवाएं देने के स्थान पर उन्हें धोखे में रखा जा रहा है और छला जा रहा है। एक नागरिक का कर्तव्य न केवल मतदान करना है, बल्कि समझदारीपूर्वक मतदान करना भी है। उसे सिर्फ और सिर्फ तर्क से संचालित होना चाहिए। उसे किसी भी तरह के विचारों और दलीय आधार से इतर सबसे अच्छे उम्मीदवार को ही मत देना चाहिए। किसी 'गलत दल में मौजूद सही व्यक्ति' किसी भी स्थिति में 'सही दल में मौजूद गलत व्यक्ति' से बेहतर है। वह समय अब बीत गया जब राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का ही नाम प्रमुखता से उभरता था। मोटे तौर पर भारतीय 'निम्न जागृति' वाले लोग हैं। वे सामंतवादी दासता और घातक समर्पण के साथ अन्याय और अनुचित कार्यों को सहन करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी दो सपने थे–पहला ब्रिटिश आधिपत्य से देश को स्वतंत्र कराने का जबकि दूसरा भारतीयों को दमन, अन्याय, असमानता और असहिष्णुता से मुक्ति दिलाने का था। उनका पहला सपना तो पूरा हो गया लेकिन दूसरा सपना पूरा नहीं हो पाया। महात्मा गांधी के अनुसार जश्न मनाने का सही समय तब होगा जब दूसरा सपना भी पूरा हो जाएगा। गांधी अपने लोगों के नेता थे, उन्हें किसी भी सत्ता का समर्थन हासिल नहीं था, एक ऐसे राजनेता जिसकी सफलता कौशल और छल पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा के नैतिक बड़प्पन पर आधारित थी, महात्मा गांधी के लिए सत्य ही ईश्वर था तथा अहिंसा उनका धर्म था। राजद्रोह के मामले की यादगार सुनवायी के दौरान उन्होंने कहा था, ''अहिंसा मेरी आस्था का पहला बिन्दु है। यह मेरे पथ का अंतिम बन्दु भी है। अहिंसा में बहादुरी मर जाने में निहित है, न कि मारने में।'' उनकी दयालुता और मानवता ब्रह्माण्ड की तरह सीमाओं के परे हैं। उन्होंने कहा, ''भारत के सभी धर्मों और नस्लों के सभी लोगों को एक बैनर के तले एकत्र करो और सभी सांप्रदायिक तथा संकीर्ण विचारों से उन्हें दूर रखने के लिए उनके भीतर एकता तथा सद्भावना के भाव प्रवाहित करें।'' वह आगे कहते हैं कि ''मेरे धर्म में इस्लाम, ईसाइयत, बौद्ध और पारसी धर्मों के वे सब अच्छे तत्व भी समाहित हैं, जिनसे मैं परिचित हूं। सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा इसे मूर्त रूप देने का एकमात्र रास्ता है।'' गांधी की यह दृढ़ राय थी कि एक अच्छे नागरिक का जीवन देश की सेवा में किये गये कर्मो का जीवन है। उन्होंने अपने शरीर के साथ ही अपने शब्दों की भी अंत्येष्टि कर दिये जाने की इच्छा जताते हुए कहा था, ''मैंने जो किया है वह बरकरार रहेगा, न कि वह जो मैंने कहा है अथवा लिखा है।''

महात्मा गांधी के शरीर को निशाना बनाने वाली घृणा और कट्टरता उनकी आत्मा को छू भी नहीं पायी थी। भारतीय प्रणालियां और विचारधाराएं किसी समय, प्रासंगिक और दूसरी स्थिति में पूरी तरह अप्रासंगिक भी हो सकती हैं लेकिन उनकी शिक्षाएं अनंत काल के लिए हैं। उन्होंने हमें एक देश के तौर पर आत्म–सम्मान तथा गरिमा के एहसास का अनमोल उपहार दिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर असहाय लोग अहिंसा की भावना के साथ मरते हैं तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मानव–जाति की सहानुभूति के लिए यह उनका अंतिम संदेश था। वह अपने आपको पूरी तरह से भारतीय जनमानस के रूप में देखते थे। उन्होंने कहा था, ''हमें सबसे पहले लोगों के साथ काम करके उनके जीवंत सम्पर्क में आना चाहिए, ताकि हम उनके दुख–दर्द साझा कर सकें, उनकी मुश्किलों को समझ पाएं और उनकी जरूरतों का अनुमान लगा सकें। हमें उन ग्रामीणों के साथ खुद को देखना चाहिए जो कड़ी धूप में मेहनत करके अपनी पीठ जला रहे हैं। हमें उस तालाब से पानी पीकर भी देखना चाहिए जिसमें ग्रामीण नहाते हैं तथा अपने कपड़े और बर्तन धुलते हैं तथा उनके मवेशी भी उसी तालाब से अपनी प्यास बुझाते हैं। जब हम ऐसा कर लेंगे तभी हम सही तरीके से आम जनता का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे।''

भारत के लोगों ने पूर्ण समर्पण की भावना से महात्मा गांधी के आह्वान का जवाब दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि ''वास्तविक स्वराज कुछ लोगों के हाथों में सत्ता का अधिग्रहण होने से नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग किये जाने पर उसका प्रतिरोध करने की क्षमता हर व्यक्ति में आ जाने पर आएगा।'' वह बारबार इस बात का जिक्र किया करते थे कि भारत को आजादी दिलाकर सार्वभौमिक बन्धुत्व के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। वह सच्चे अर्थ में मानवता की विस्तारित बेहतरी को हासिल करने में जुटे हुए थे।

गांधी ने धर्मनिरपेक्षता, आध्यात्मिकता, शक्ति और न्याय के मूल्यों के बीच सहिष्णुता का मार्ग दिखाया। गांधी ने 'पुरुषार्थ' की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह मूल्यों और आदर्शों का एक ऐसा समुच्चय है जिसके दायरे में रहते हुए भारत में सार्वजनिक विचार–विमर्श हो सकता है और यही होना भी चाहिए। वह जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। धन, शक्ति, सुख, कलात्मक सौंदर्य, नैतिक एकनिष्ठता और आत्मा की स्वतंत्रता रूपी पुरुषार्थ सभी भारतीयों की कामना के लक्ष्य हैं। गांधी यह विवेचना भी करते हैं कि कामना आधुनिक भारत के सार्वजनिक दर्शन का आधार क्यों और कैसे होनी चाहिए।

पुरुषार्थ की अवधारणा के तीन तरह के मायने हैं। पहला, यह किसी भी मानवीय श्रम से संबंधित है, दूसरा, यह भाग्य और कर्म के ढांचे को तोड़ने के लिए किये गये मानवीय प्रयास से संबंधित है और तीसरे अर्थ में यह जीवन के चार सर्वमान्य लक्ष्यों–धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उल्लेख से संबंधित है। 'धर्म' जहाँ धार्मिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों से संबंधित है वहीं 'अर्थ' धन और शक्ति से जुड़ा हुआ है। 'काम' शारीरिक सुख और आनन्द की अनुभूति से संबंधित पुरुषार्थ है जबकि 'मोक्ष' का तात्पर्य जन्म–मरण के चक्र से मुक्त हो जाने से है।

गांधी स्वयं इन पुरुषार्थों को बड़ी खूबसूरती से अभिव्यक्त करते हैं। वह धार्मिक है, वह प्रसन्न है और एक तरफ वह धनवान भी है। वह आत्मनिष्ठ है, किसी के भी प्रति उनके मन में दुर्भावना नहीं है, किसी का भी शोषण नहीं करते हैं और सदैव सच्चे मन से काम करते हैं। इस तरह का हर व्यक्ति मानवता की सेवा के योग्य हैं। मौजूदा समस्याओं को एक ही स्रोत से उपजा हुआ माना जा सकता है। राजनीतिक प्रतिष्ठान का नौकरशाही से लगभग पूर्ण अलगाव हो चुका है और एक तरफ समृद्ध आभिजात्य वर्ग है तो दूसरी तरफ नागरिक समाज के लोग। इनमें से नागरिक समाज को छोड़कर बाकी सभ लोग अपनी अहमियत और ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेता चुनाव प्रणाली के जरिए और नौकरशाह कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में गड़बड़ी करके अपनी महत्ता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि समृद्ध आभिजात्य वर्ग राजनीति और नौकरशाही के साथ अपने अनुंचित संबंधों के माध्यम से इस शोषणकारी व्यवस्था में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा रहता है। नागरिकों को इस बात का एहसास होता है कि राज्य ने गुंडों और मवालियों के आगे अपनी शक्ति का प्रयोग करना धीरे–धीरे बंद ही कर दिया है। आम नागरिक की दृष्टि में, अदालतें और संसद धोखेबाजी, बेईमानी और जोड़–तोड़ को वैधता दिलाने के उपाय–भर बनकर रह गयी है। सत्तारूढ़ दल के साथ ही अन्य दलों के नेता भी अपने निजी हितों को छोड़कर उस मूलभूत तथ्य को समझने में नाकाम रहे हैं, अगर राजनीति सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित होकर रह जाती है तो इस देश में कोई भी पार्टी बची नहीं रह सकती है, फलने–फूलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। भारत में राजनीतिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं, राजनीति का इस कदर अपराधीकरण हो चुका है कि अब अपराध का राजनीतिकरण होने लगा है।

हमें उन शांतिपूर्ण और खुशहाल दिनों की भावना और आदर्शों की तरफ लौटना चाहिए जब ''सबसे पहले और सबसे आगे राष्ट्र'' के दर्शन का अनुसरण किया करते थे। उस समय हम दिल की जुबान बोलते थे, आदर्शवाद की हवा में सांस लेते थे, स्वार्थ–रहित सेवा और बलिदान के रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चलते थे तथा मातृभूमि के सभी बेटे–बेटियों और खुद को ''भारतीय पहले, भारतीय आखिर में और भारतीय हमेशा'' मानने में गर्व होता था। आज के समय की यह जरूरत है कि देश के नेता और लोग महात्मा गांधी के आदर्शों और शिक्षाओं से प्रेरित हों। हमें सरकार के शीर्ष पर मूल्यों से परिपूर्ण एक व्यक्ति की जरूरत है। हमें एक 'दार्शनिक राजा' की आवश्यकता है। जिसका दिमाग साफ हो और जिसका दिल सही स्थान पर मौजूद हो। अगर यह सच हो जाता है तो गांधी की प्रासंगिकता बनी हुयी है। अगर कल की नीतियां विशुद्ध व्यक्तिगत आकांक्षा के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त करा दी जाती है और इंसान को शारीरिक तथा मानसिक तौर पर गरीबी, बीमारी और भूख से मुक्ति दिलाने जैसे महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बनायी जाती हैं तो गांधी प्रासंगिक हैं। अगर दया–भाव, क्षमा–भाव, सज्जनता और दूसरों के लिए फिक्रमंद होने जैसे गुण सार्वजनिक जीवन का अंग बने हुए हैं तो गांधी की प्रासंगिकता है। समय बीतने के साथ ही गांधी की प्रासंगिकता न केवल हमारे देश बल्कि पूरे विश्व के लिए बढ़ जाएगी। मुझे तनिक भी यह संदेह नहीं है कि जहां तक मेरे देशवासियों और खासकर महज गांधी का नाम सुनने वाली युवा पीढ़ी का संबंध है, वे भारत के ऐतिहासिक काया–तरण से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को पूरी समग्रता में और पर्याप्त समय देकर हल कर लेंगे। आज भी गांधी की प्रासंगिकता यथावत् है। हकीकत तो यह है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित गांधी के विचार और नजरिया उनके जीवन–काल की तुलना में अब अधिक प्रासंगिक हैं। नीति–निर्माताओं, राजनीतिज्ञो, बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों को अपनी सोच और कार्यों में निश्चित रूप से महात्मा गांधी के विचारों का ध्यान रखना चाहिए।

गांधी ने कहा था, ''मैं आप लोगों को एक जंतर दूंगा। जब कभी आपके मन में कोई संदेह हो अथवा आपका अहम आप पर भारी पड़ने लगे तो यह तरीका अपनाना। उस सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करना जिसे तुमने देखा है और खुद से यह सवाल करना कि अगर तुमने यह कदम उठाया तो उससे उस व्यक्ति को कोई लाभ हो जा रहा है अथवा नहीं? क्या उसे तुम्हारे इस कदम से कुछ मिलेगा? क्या तुम्हारा कदम उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन और भाग्य पर किसी तरह का नियंत्रण स्थापित करने में मददगार बन पाएगा? दूसरे शब्दों में क्या यह कदम भूख और आध्यात्मिकता से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए स्वराज ला पाएगा? तब तुम्हें अपने संदेह के जवाब मिल जाएंगे और तुम्हारा अहम भी जाता रहेगा।''

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गांधी के कहे हुए शब्द, उनका लेखन और उनके कार्य सदियों तक ध्वनित होते रहेंगे। इसी के साथ हमें उन सामाजिक पापों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिनका उल्लेख महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अपने लेख में किया था। ये सामाजिक पाप है–सिद्धांतों के बगैर राजनीति, कार्य के बगैर धन, अंतःकरण के बगैर आनन्द, चरित्र के बगैर ज्ञान, नैतिकता के बगैर व्यवसाय, मानवता के बगैर विज्ञान और बलिदान के बगैर आराधना। जिंदगी के लिए जो महत्व सांस का है वही मानवता और सभ्यता के लिए गांधी का है। जब तक दुनियां में आपसी संघर्ष, शत्रुता, जातीय वैमनस्य, धार्मिक अशांति, आंतरिक टकराव और सैनिक कब्जे का भय बना रहेगा, लोग महात्मा गांध की तरफ रुख करते रहेंगे। उनकी उपयोगिता उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक संघर्ष बंद नहीं हो जाते हैं, भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता है, महिलाएं सशक्त नहीं हो जाती हैं और गरीब सम्मानपूर्वक जीवन नहीं व्यतीत करने लगते हैं।

सार

गांधी जी एक रचनात्मक व्यक्ति थे और उन्होंने अपने समय की चुनौतियों का बखूबी मुकाबला कर नयेक इतिहास का सृजन किया। वह सिद्धांतों के धनी व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा वही कार्य किया जिसका वह दूसरों को उपदेश दिया करते थे। उनके लिए सिद्धांत और व्यवहार में कोई विरोधाभास नहीं था और न ही उनके सार्वजनिक तथा निजी जीवन में कोई अंतर्विरोध था। आम लोगों खासकर सामाजिक रूप से वंचित और शोषित समुदाय की जुबान बोलने के कारण वह दुनियां पर स्थायी असर छोड़ गये। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के साथ ही भारत के लोग 'प्रजा' की जगह नागरिक बन गये। लेकिन गांधी के शब्दों में हमें आजादी नहीं बल्कि 'स्वराज' यानि स्वशासन मिला था। गांधी के अनुसार सच्चा लोकतंत्र न केवल कुछ लोगों बल्कि सबसे गरीब और यहां तक कि वंचित और शोषित समुदाय समेत

सभी लोगों के लिए मायने रखना चाहिए। वह आदर्श पेश करने के लिए सिर्फ जुबानी सहानुभूति में भरोसा नहीं करते थे, जो कि आज के अधिकतर राजनीतिज्ञों और नेताओं के लिए बड़ा आसान काम हो गया है।

गांधी के दो सपने– भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराना तथा भारतीयों को दमन, अन्याय, असमानता, असहमति और असहिष्णुता से मुक्त कराना था। गांधी ने अर्थ, मोक्ष, धर्मनिरपेक्षता, आध्यात्मिकता और न्याय जैसे मूल्यों के बीच सामंजस्य बिठाने का रास्ता दिखाया। हमें मूल्यों से परिपूर्ण एक सरकार या व्यक्ति की जरूरत है। जिसका मस्तिष्क और दिल साफ हो। अगर ऐसा सच होता है तो गांधी प्रासंगिक बने हुए हैं। गांधी की उपयोगिता उस समय तक बनी रहेगी जब तक संघर्ष समाप्त नहीं हो जाते हैं, भेदभाव मिट नहीं जाता है, महिलाएं सशक्त नहीं हो जाती हैं, गरीब, वंचित और शोषित समुदाय समेत सभी लोग सम्मान के साथ नहीं जीने लगते।

सन्दर्भ

1. विश्वास, एस.सी. (संपादित)– गांधी : थ्योरी एंड प्रैक्टिस, सोशल इम्पैक्ट एंड कंटेम्परेरी रेलिवेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, शिमला, 1969
2. चक्रवर्ती, विद्युत : सोशल एंड पोलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी, लंदन, 2006
3. चौधरी, मनमोहन : एक्सप्लोरिंग गांधी, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 1987
4. मिश्रा, अनिल दत्त (संपादित)– गांधियन एप्रोच टू कंटेम्परेरी प्राब्लम्स, मित्तल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1996
5. सिन्हा, मनोज (संपादित) : गांधी अध्ययन, ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2010